संख्या-303/2026/1500/69-1-26
क.सं.-2076334

प्रेषक,

संकठा प्रसाद,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। **लखनऊ : दिनांक : 24 अगस्त, 2026**

विषय - चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-37, 83 व 81 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 योजनान्तर्गत बी0एल0सी0 मद में केन्द्रांश एवं राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या-एन-11012/21/2025-एचएफए-वी-महुआ(एफटीएस-9196584) दिनांक 09.07.2026 के आधार पर आपके पत्र संख्या-1993, 1994 व 1995/10/30/76/एक/2026-27, दिनांक 31 जुलाई, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन 2.0 योजनान्तर्गत'' चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान सं0-37 के संगत मद में प्राविधानित धनराशि में से रू. 17755.00 लाख (के0 रू. 10653.00 + रा0 रू. 7102.00), अनुदान सं0-83 के संगत मद में प्राविधानित धनराशि में से रू. 6033.00 लाख (के0 रू. 3619.80 + रा0 रू. 2413.20) तथा अनुदान सं0-81 के संगत मद में प्राविधानित धनराशि में से रू. 157.00 लाख (के0 रू. 94.20 + रा0 रू. 62.80) अर्थात् उक्त तीनों मदों में **कुल धनराशि रू. 23945.00 लाख (रूपये दो अरब उन्तालीस करोड़ पैंतालीस लाख मात्र)** निर्गत करने पर निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित मद/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा एवं केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी भारत सरकार के पत्रों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-180/69-1-2025/14(55)/2024, दिनांक 23 जनवरी, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास 2.0 योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
4. योजनान्तर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि (प्रत्येक किश्त) के पूर्व निर्मित किये जा रहे आवासों के फोटोग्राफ्स की जियो-टैगिंग सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं/निर्मित किये जा रहे आवासों में उपयुक्त आपदा प्रतिरोध विशेषताओं को भी सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परियोजनाओं/आवासों के निर्माण में एन0बी0सी0 के नियमों/प्राविधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी कार्य/मद के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा। अन्यथा की स्थिति में जी0एफ0आर0-2005 में दी गई व्यवस्थानुसार स्वीकृत धनराशि को व्याज सहित भारत सरकार को वापस किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि को मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन, लखनऊ से तात्कालिक आवश्यकता होने पर आहरित किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से पीएलए अथवा बैंक खातों में रक्षित नहीं की जायेगी।

8. सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9. उक्त मद में अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव**,** विशेष सचिव अथवा उप सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

11. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

12. सूडा/डूडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**4/2026/**बी-**1-812/**दस-**2026-231/2026** दिनांक **28** मार्च, 2026 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर जारी सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि, कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

14. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय:-

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि लाख रूपये में**
1	037	**2217050510115** प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन-(2.0) (के.60/रा. 40-के.+रा.)	35- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	**17755.00** (रूपये एक अरब सतहत्तर करोड़ पचपन लाख मात्र)
2	083	**2217057890103** प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन-(2.0) (के.60/रा. 40-के.+रा.)	35- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	**6033.00** (रूपये साठ करोड़ तैंतीस लाख मात्र)
3	081	**2217057960103** प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन-(2.0) (के.60/रा. 40-के.+रा.)	35- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	**157.00** (रूपये एक करोड़ सत्तावन लाख मात्र)
		कुल योग	**रू. 23945.00 (रुपये दो अरब उन्तालीस करोड़ पैंतालीस लाख मात्र)**	

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-87-X-2026-27, दिनांक- 24 अगस्त, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संकठा प्रसाद)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-1/4, उ0प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन, लखनऊ
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/बजट समन्वयक/कम्प्यूटर सहायक।

(संकठा प्रसाद)
उप सचिव।